न्यायालय सहायक कलक्टर, चूरू
पीठासीन अधिकारी श्री सक्षम गोयल, आई.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
135 / 2023	दावा 88, RTA	09.10.2023	27.03.2024

रूकिया पुत्री हबीब पत्नी सदीक जाति व्यौपारी निवासीनी ग्राम घांघू तहसील व जिला चूरू हाल वार्ड नं. 8 चेजारा बस्ती, सुजानगढ जिला चूरू

वादी

बनाम

1. कीमा पुत्र जमाल जाति व्यौपारी निवासी ग्राम घांघू तहसील व जिला चूरू
2. यासीन पुत्र जमाल जाति व्यौपारी निवासी ग्राम घांघू तहसील व जिला चूरू
3. जरीना पुत्री हबीब जाति व्यौपारी निवासी ग्राम घांघू तहसील व जिला चूरू
4. फातमा पुत्री हबीब जाति व्यौपारी निवासी ग्राम घांघू तहसील व जिला चूरू
5. महबूब पुत्र हबीब जाति व्योपारी निवासी ग्राम घांघू तहसील व जिला चूरू
6. मो. इमरान पुत्र हबीब जाति व्यौपारी निवासी ग्राम घांघू तहसील व जिला चूरू
7. मे. जब्बार पुत्र हबीब जाति व्यौपारी निवासी ग्राम घांघू तहसील व जिला चूरू
8. मों. सलीम पुत्र हबीब जाति व्यौपारी निवासी ग्राम घांघू तहसील व जिला चूरू
9. सायरा पत्नी हबीब जाति व्यौपारी निवासी ग्राम घांघू तहसील व जिला चूरू
10. फतेह मोहम्मद पुत्र गफूर, जाति व्यौपारी नि. घांघू तहसील व जिला चूरू
11. बनो पत्नी सतार, जाति कसाई, नि. घांघू तहसील व जिला चूरू
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चूरू

निर्णय

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.

उपस्थित :– अधिवक्ता श्री नरेन्द्र राठौड़ एडवोकेट वादी

वादी की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टीए. का पेश कर निवेदन किया कि वादीनी

1. वादनी खेत खसरा नम्बर 726 तादादी 4.6918 हैक्टेयर रोही मौजा घांघू तहसील व जिला चूरू पटवार हल्का घांघू भूअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सिरसला तहसील व जिला चूरू की संयुक्त खातेदारी व काश्तकारी चलती आ रही है व उक्त कृषि भूमि में वादीनी का 1/32 हिस्सा पांति में आया है जो उसके कब्जा व काश्त की कृषि चली आ रही है वादीनी अपने हस्सा में आई भूमि पर फसल काश्त करती आ रही है व वादिनी को उक्त कृषि भूमि विरासतन प्राप्त हुई है।
2. वादीनी अपने हिस्सा पांती में आई कृषि भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करना चाहती है लेकिन वादीनी के उसके कृषि भूमि पर जारी जमाबंदी व राजस्व रिकॉर्ड में गलत व त्रुटीपूर्ण नाम रूकिया के स्थान पर रूबिया दर्ज होने से भारी परेशानियों व योजनाओं से वंचित रहना पड़ रहा है जबकि वादीनी का सही व दुरूस्त नाम रूकिया ही है जो उसके नाम से जारी पहचान पत्र व आधार कार्ड व अन्य समस्त दस्तावेज में वादीनी का नाम रूकिया ही दर्ज चला आ रहा है व रूकिया व रूबिया उक्त दोनों नाम वादीनी के ही है व उक्त नामों की अन्य कोई महिला नहीं है व वास्तविकता व दस्तावेजात के आधार पर वादीनी का दुरूस्त नाम रूकिया ही है न कि रूबिया व वादीनी के खेत खसरा के राजस्व रिकॉर्ड में नाम अपने दस्तावेजात के आधार पर रूबिया [illegible] स्थान पर [illegible] दर्ज करवाने हेतु प्रतिवादी सं. 12 के यहां बार–बार चक्कर लगाने व दिनांक 20.09.202[illegible] को [illegible] नाम दुरूस्त बाबत निवेदन करने पर प्रतिवादी संख्या 12 द्वारा श्रीमान[illegible] दुरूस्त किये जाने का कहने पर दावा हाजा न्यायालय में प्रस्तुत [illegible] प्रतिवादी सं. 12 को भू–धा[illegible] के कारण पक्षकार दावा बनाया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Saksham Goel
Date: 2024.04.24 10:59:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

3. वादीनी की संयुक्त खातेदारी व काश्तकारी की कृषि भूमि ग्राम घांघू में स्थित होने के कारण दावा माननीय न्यायालय के समक्ष सादर प्रस्तुत है व उचित न्यायशुल्क पर प्रस्तुत है व अन्य कहीं जैरकार नहीं है व अन्दर मियाद पेश है अन्य तथ्य वरवक्त बहस अर्ज कर दिये जावेंगे।

अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि खेत खसरा नम्बर 726 रोही मौजा घांघू तहसील व जिला चूरू तादादी 4.6918 हैक्टेयर में वादीनी का नाम राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार रूबिया गलत व त्रुटी पूर्ण दर्ज है को वादीनी के दस्तावेजात के आधार पर सही व दुरूस्त रूबिया के स्थान रूकिया किये जाने का आदेश फरमावें।

वादी की ओर से प्रस्तुत दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार चूरू से जांच रिपोर्ट मंगवाई गई। । तहसीलदार चूरू से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई तहसीलदार चूरू से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार तहसीलदार चूरू से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार रूबिया व रूकिया दोनों एक ही महिला होना बताया है तथा रूबिया के स्थान पर रूकिया किये जाने की स्पष्ट अभिशंसा की है।

तहसीलदार चूरू की जांच रिपोर्ट पर अधिवक्ता वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। बहस में अधिवक्ता वादी ने बहस में दावा में अंकित तथ्यों को दोहराया।

बहस सुनी जाकर पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी खसरा नम्बर 726 रोही ग्राम घांघू में वादीनी का नाम रूबिया पुत्री हबीब अंकित है। वादीनी के दिव्यांगता प्रमाण पत्र में वादीनी का नाम रूकिया पुत्री हबीब अंकित है। वादीनी के दस्तावेजों अधारकार्ड, राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक पास बुक आदि में वादीनी का नाम रूकिया पत्नी सदीक दर्ज है। रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार वादीनी का वास्तविक व दस्तावेजी नाम रूकिया ही है तथा रूकिया व रूबिया दोनों एक ही महिला के दो अलग–अलग नाम है।

वादी द्वारा पेश दावा एवं दावा के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि वादगत कृषि भूमि वादीनी की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है। राजस्व रिकार्ड में वादीनी का गलत नाम रूबिया अंकित चला आ रहा है जिससे वादीनी को कठिनाई होना प्रत्यक्ष है। वादीनी वादगत कृषि भूमि के संयुक्त खातेदार है इसलिए उन्हें राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज नाम को दस्तावेजों के अनुरूप दुरूस्त करवाने का अधिकार है। वादीनी के नाम दुरूस्त किये जाने से राज्य सरकार के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना भी परिलक्षित नहीं है। इस प्रकार वादी द्वारा पेश दस्तावेजों, शपथ पत्रों एवं तहसीलदार, चूरू द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर दावा वादी स्वीकार करने योग्य है।

निर्णय

वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात शपथ पत्र रिपोर्ट तहसीलदार के आधार पर दावा वादी स्वीकार किया जाकर वादगत कृषि भूमि रोही ग्राम घांघू के खसरा नम्बर 726 तहसील व जिला चूरू के राजस्व रिकार्ड में अंकित वादीनी का नाम रूबिया के स्थान पर रूकिया किये जाने की घोषणा की जाती है। किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है तो तहसीलदार चूरू उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करें।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Saksham Goel
Date: 2024.04.24 10:59:15 IST
Reason: SelfAttested

(सक्षम गोयल आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
कार्यपालक मजिस्टेट
चूरू

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D"-1)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, मुकाम चूरू

ब इजलास : श्री सक्षम गोयल आई.ए.एस.

रूकिया पुत्री हबीब पत्नी सदीक जाति व्यौपारी निवासीनी ग्राम घांघू तहसील व जिला चूरू हाल वार्ड नं. 8 चेजारा बस्ती, सुजानगढ जिला चूरू

वादीनी

बनाम

1. कीमा पुत्र जमाल जाति व्यौपारी निवासी ग्राम घांघू तहसील व जिला चूरू
2. यासीन पुत्र जमाल जाति व्यौपारी निवासी ग्राम घांघू तहसील व जिला चूरू
3. जरीना पुत्री हबीब जाति व्यौपारी निवासी ग्राम घांघू तहसील व जिला चूरू
4. फातमा पुत्री हबीब जाति व्यौपारी निवासी ग्राम घांघू तहसील व जिला चूरू
5. महबूब पुत्र हबीब जाति व्योपारी निवासी ग्राम घांघू तहसील व जिला चूरू
6. मो. इमरान पुत्र हबीब जाति व्यौपारी निवासी ग्राम घांघू तहसील व जिला चूरू
7. मे. जब्बार पुत्र हबीब जाति व्यौपारी निवासी ग्राम घांघू तहसील व जिला चूरू
8. मों. सलीम पुत्र हबीब जाति व्यौपारी निवासी ग्राम घांघू तहसील व जिला चूरू
9. सायरा पत्नी हबीब जाति व्यौपारी निवासी ग्राम घांघू तहसील व जिला चूरू
10. फतेह मोहम्मद पुत्र गफूर, जाति व्यौपारी नि. घांघू तहसील व जिला चूरू
11. बनो पत्नी सतार, जाति कसाई, नि. घांघू तहसील व जिला चूरू
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चूरू

–प्रतिवादीगण–

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.
मुकदमा नं. 135 सन् 2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री नरेन्द्रसिंह राठौड़ एडवोकेट वादी, मिनजानिब मुदईब पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

दावा वादी स्वीकार किया जाकर वादगत कृषि भूमि रोही ग्राम घांघू के खसरा नम्बर 726 तहसील व जिला चूरू के राजस्व रिकार्ड में अंकित वादीनी का नाम रूबिया के स्थान पर रूकिया किये जाने की घोषणा की जाती है। किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है तो तहसीलदार चूरू उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करें।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 27 माह मार्च सन् 2024 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Saksham Goel
Date: 2024.04.24 10:59:15 IST
Reason: SelfAttested

(सक्षम गोयल आई.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्टेट
चूरू

उपखण्ड अधिकारी
चूरू